भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न संख्या 1937

सोमवार, 7 अगस्त, 2023 (श्रावण 16, 1945 (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

<u>गो फर्स्ट एयरलाइंस का दिवालिया होना</u>

1937. श्री नीरज डांगी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में गो फर्स्ट एयरलाइन के दिवालिया घोषित किए जाने से यात्रियों को हुई परेशानी का ब्यौरा क्या है;

(ख) बुक किए गए टिकटों को रद्द करने के बाद प्रभावित यात्रियों को एयरलाइन द्वारा वापस की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) एयरलाइन द्वारा इस समस्या के चलते कितने विमानों को उड़ान से हटाना पड़ा और इसके कारण कंपनी को कुल कितनी हानि हुई?

<u>उत्तर</u>

<u>नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (डॉ.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त))</u>

(क) और (ख): मैसर्स गो फर्स्ट ने, 03 मई 2023 से अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं और समय-समय पर इसे आगे बढ़ाया है। एयरलाइन ने, दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 10 के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) आरंभ करने की प्रार्थना के साथ राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी), प्रधान पीठ, नई दिल्ली के समक्ष एक आवेदन दायर किया है।

गो फ़र्स्ट द्वारा प्रचालन बंद करने के परिणामस्वरूप, कुछ क्षेत्रों में क्षमता संबंधी बाधाएँ उत्पन्न हुईं। अन्य एयरलाइनों को हवाई किरायों का स्व-नियमन करने और उनका उचित मूल्य स्तर बनाए रखने के साथ-साथ उन क्षेत्रों पर नई उड़ानें शुरू करने की सलाह दी गई है जहां गो फर्स्ट की उड़ानें अधिक संख्या में उपलब्ध थीं।

मैसर्स गो फर्स्ट द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, अंतरिम रेज़ोल्यूशन प्रोफेशनल (आईआरपी) ने, रिफ़ंड सहित मुआवजे की माँगों को आमंत्रित करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है, जिसके लिए एयरलाइन की वेबसाइट, यथा "flygofirst.com/nclt-proceedings/"और "www.gofirstclaims.in/claims" पर प्रावधान उपलब्ध है।

(ग) : नागर विमानन महानिदेशालय के अनुसार, गोफर्स्ट को अपने उड़ान प्रचालक प्रमाणपत्र पर चौवन (54), ए320 विमानों की अनुमति प्राप्त है। कुछ विमान, इंजन की अनुपलब्धता के कारण पहले ही खड़े कर दिए गए थे। गो फर्स्ट द्वारा प्रस्तुत पुनरारंभ योजना के अनुसार, 28 विमान (54 में से) ग्राउंडेड थे और 26 विमानों का प्रचालन में उपयोग किया जा रहा था।

****